84

समक्षः न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक /I/2016 निगरानी निग-1391-I-16

1—देवलाल पुत्र लोढक्या मीणा
2—हरिमोहन पुत्र लोढक्या मीणा
निवासीगण ग्राम प्रेमसर तह. व
जिला श्योपुर म.प्र.

............निगरानीकर्तागण

बनाम

मध्यप्रदेश शासन

............गैरनिगरानीकर्ता

दिवाकर दीक्षित
दिवाकर दीक्षित, का.अ. द्वारा आज दि. 3-5-16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 3-5-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत म.प्र.भू.रा.सं. 1959 की धारा—50 विरूद्व न्यायालय अपर कलेक्टर जिला श्योपुर के प्र.कं. 65/10—11/स्व.निगरानी पारित आदेश दिनांक 01.01.16 (त्रृटि अंकित दिनांक 01.01.15)

मान्यवर महोदय,

निगरानीकर्तागण की और हस्वजेल निगरानी पेश है:—

निगरानी का संक्षिप्त में विवरण :—

निगरानीकर्तागणों की आधिपत्य एवं भूस्वामित्व की भूमि ग्राम प्रेमसर तह. व जिला श्योपुर में सर्वे कं. 341 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, सर्वे कं. 427 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा, सर्वे कं. 437 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा, सर्वे कं. 466 रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा, सर्वे कं. 594 रकबा 7 बिस्वा स्थित है जिस पर काबिज होकर निगरानीकर्तागण अपने पिता लोढक्या के समय से ही खेती करते आ रहे है और आज भी निगरानीकर्तागणों का ही मौके पर कब्जा है। पूर्व में उक्त भूमि कान्हा पुत्र शंकर के नाम थी, कान्हा के कोई पुत्र संतान नहीं था, केवल पुत्री थी। पुत्रीयों की शादी निगरानीकर्ता के पिता लोढक्या ने की थी। कान्हा ने प्रश्नाधीन भूमि अपने जीवनकाल में निगरानीकर्ता के पिता लोढक्या को देते हुए मौके पर कब्जा दिया। इसके निगरानीकर्तागणों के पिता लोढक्या ने कान्हा का भरण पोषण करते हुए सेवा की और उसकी मृत्यु उपरांत उसका कियाकर्म करते हुए मृत्यु भोज भी किया उसकी पुत्री की शादी भी की। वर्ष 1988 में निगरानीकर्ता के पिता लोढक्या द्वारा एक सिविल वाद पेश किया जो प्र.कं. 279ए/88 पर दर्ज किया गया जिसमें पारित आदेश दिनांक 10.04.89 से निगरानीकर्तागण के पिता के पक्ष में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1391/एक/2016 जिला-श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
3-5-16	यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर, श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 65/2010-11 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 01.01.2016 त्रुटि अंकित दिनांक 01.01.2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2- प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम प्रेमसर, तहसील व जिला श्योपुर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 341, रकवा 3 बीघा 17 विस्वा, सर्वे क्रमांक 427, रकवा 6 बीघा 8 विस्वा, सर्वे क्र.466, रकवा 12 बीघा 6 विस्वा, सर्वे क्र.594, रकवा 7 विस्वा स्थित है, जिस पर आवेदक अपने पिता लोढ़क्या के समय से कब्जा करके कास्ते करते आ रहे है एवं आज वर्तमान में मौके पर कब्जा है। पूर्व में उक्त भूमि कान्हा पुत्र ओंकार के नाम थी, कान्हा की कोई संतान नहीं थी बल्कि पुत्री थी। पुत्री की शादी आवेदक के पिता लोढक्या ने की	

थी। कान्हा ने प्रश्नाधीन भूमि अपने जीवनकाल में आवेदक के पिता लोढक्या देते समय हुए, मौके पर कब्जा दिया था क्योंकि आवेदक के लोढक्या ने कान्हा का भरण-पोषण करते हुए देखभाल की थी और उसकी मृत्यु उपरांत उसका क्रियाकर्म करते हुए मृत्यु भोज भी किया था। वर्ष 1988 में आवेदक के पिता लोढक्या द्वारा एक सिविल वाद पेश किया था, प्रकरण क्रमांक 279ए/88 पर दर्ज किया गया, जो पारित आदेश दिनांक 10.04.1989 से आवेदकगण के पिता के पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में डिक्री पारित की गयी थी जिसके विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गयी और वह अंतिम हो गया। आवेदकगण ने दावा उक्त भूमि के संबंध में न्यायालय तहसील, श्योपुर के समक्ष प्रकरण क्रमांक 19/97-98/अ-6अ प्रस्तुत किया था, जो पारित आदेश दिनांक 09.05.2000 से प्रश्नाधीन भूमि के खसरे में आवेदकगण कब्जेदार के रूप में अंकित किया गया, जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के समक्ष अपील प्रकरण क्रमांक 97/99-2000 प्रस्तुत की गयी थी जो आदेश दिनांक 30.05.2001 से निराकृत की जाकर तहसीलदार की कब्जा इन्द्राज को यथावत रखकर अपील निरस्त की गयी। आवेदकगण ने एक दावा

तहसीलदार श्योपुर के समक्ष प्रकरण क्रमांक 02/2000-01/अ-46 पेश किया था, जो पारित आदेश दिनांक 05.07.04 से आवेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर नामान्तरण स्वीकार किया गया, तब से लेकर आज वर्तमान तक राजस्व अभिलेखों में आवेदकगण का नाम भूमि स्वामी पर दर्ज चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला श्योपुर द्वारा तहसीलदार श्योपुर के प्रकरण क्र0 02/2000-01/अ-46 को स्वमेव निगरानी में वर्ष 2011 में लेते हुए, आवेदकगण को सूचना-पत्र जारी किया, जिसका जबाव आवेदकगण द्वारा पेश किया गया। जिस पर विचार किये बिना ही आदेश दिनांक 01.01.2016 से यह आदेश दिया गया कि तहसीलदार श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.04 विधि एवं प्रक्रिया के अनुसार नहीं होने से निरस्त किया जाता है तथा वादग्रस्त भूमि को भूमिस्वामी कान्हा द्वारा संहिता की धारा 176 के अन्तर्गत खाते के परित्याग की श्रेणी में मान्य करते हुए म0प्र0 शासन अंकित करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार संहिता की धारा 176 के अनुसार खाते का निर्धारित विधि के अनुसार निराकरण करें। अपर कलेक्टर, जिला श्योपुर के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह वर्तमान निगरानी

राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3- निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4- प्रकरण में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में यह बताया कि आवेदकगण को तहसीलदार श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/2000-01/अ-46 में पारित आदेश दिनांक 05.07.04 से नामान्तरण आदेश पारित किया था, जो अपने स्थान पर विधिवत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। उपरोक्त भूमि के संबंध में आवेदकगण के पक्ष में सिविल वाद क्र.279ए/88 में पारित आदेश दिनांक 10.04.1989 आज दिनांक तक प्रभावशील हैं, ऐसी स्थिति में व्यवहार न्यायालय की डिकी एवं आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है। अपर कलेक्टर, जिला श्योपुर द्वारा उपरोक्त प्रकरण को अधिक समय बाद स्वमेव पुनरीक्षण में लिया गया है। जबकि लम्बे समय पश्चात् प्रकरण को स्वमेव पुनरीक्षण में नहीं लिया जा सकता। इस संबंध में 1994 आर.एन. 392, 2010 आर.एन. 273, 2011 आर.एन. 426, 2010 आर.एन. 409 उच्च.न्याया. के न्यायदृष्टांत

प्रस्तुत किये गये, अंत में अभिभाषक द्वारा वर्तमान निगरानी स्वीकार किये जाकर अपर कलेक्टर, जिला श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.01.2016 त्रुटि अंकित दिनांक 01.01.2015 निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5- अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में बताया कि अपर कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा वर्तमान प्रकरण में जो कार्यवाही कर आदेश पारित किया है, वह विधि एवं प्रक्रिया के अनुसार सही होने से स्थिर रखे जाने योग्य है, इसलिए आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत वर्तमान निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6- प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक के तर्कों पर मनन किया। मेरे द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत विभिन्न न्यायालयों के आदेशों का सूक्ष्य अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/2000-01/अ-46 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2004 विधिवत रूप से पारित किया है तथा आवेदकगण के हित में नामान्तरण आदेश दिया है। उक्त आदेश अपीलीय आदेश है, जिसके विरूद्ध किसी भी पक्ष द्वारा कोई

	अपील अथवा पुनरीक्षण सक्षम न्यायालय में नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में तहसीलदार श्योपुर का आदेश अपने स्थान पर अंतिम हो गया। ऐसी स्थिति में अपीलीय आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण अथवा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण वर्जित हैं। वर्तमान प्रकरण में आवेदकगण के हित में व्यवहार न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 279ए/88 में पारित आदेश दिनांक 10.04.89 पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी होने से मान्य किये जाने योग्य है। इस संबंध में अपर कलेक्टर, जिला श्योपुर द्वारा कोई विचार नहीं किया गया। वर्तमान प्रकरण को अपर कलेक्टर, जिला श्योपुर द्वारा म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत स्वमेव निगरानी में अधिक समय बाद लिया है। जबकि न्यायदृष्टांत 1994 आर.एन. 392 उच्च.न्याया. 2010 आर.एन. 273 उच्च न्याया.2011 आर.एन.426, 2010 आर. एन.409 पूर्णपीठ, एम.पी.जे.आर.2011(2) 84 डी.बी., उच्च न्याया., एम.पी.आर.एल. 2011 पेज 273 में उल्लेख किया है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग-आदेश की अवैधता, अनौचित्यता तथा कार्यवाहियों की	

अनियमितता की जानकारी के दिनांक से समुचित कालावधि के भीतर होना चाहिए 180 दिन के भीतर प्रयोग की जानी चाहिए। इसलिए उपरोक्त न्यायदृष्टांत को नजरअंदाज कर जो आदेश अपर कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा पारित किया गया है, वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.01.2016 (त्रुटि अंकित दिनांक 01.01.2015) निरस्त किया जाकर तहसीलदार श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/2000-01/अ-46 पारित आदेश दिनांक 05.07.04 त्रुटि अंकन दिनांक 06.09.2004 स्थिर रखा जाकर यह निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदकगण का नाम पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में दर्ज करें, तदनुसार यह वर्तमान निगरानी स्वीकार की जाती है।

सदस्य